भारत का सबसे तेज़ बढ़ता अख़बार

दैनिक भास्कर

वर्ष 62/15 अंक 139। सतना नगर

कुल पेज 16, मूल्य 2.50 रु.

सतना, शनिवार 16 फरवरी 2008 माघ शुक्ल पक्ष-10, 2064

अब निजी अस्पताल-नर्सिंगहोम में भी नसबंदी की मुफ्त सुविधा

सतना। दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकार एड़ी चोटी का जोर बहुत पहले से लगा रही हैं। हम दो हमारे दो का नारा देने वाली सरकारें महिला-पुरूषों की नसबंदी कराने के हर सम्भव प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने का काम अभी तक सरकारी तंत्र के जरिए कर रही थी पर अब इसमें निजी चिकित्सालयों को भी सहभागी बनाया जा रहा है।

इसी प्रक्रिया के तहत शहर के आठ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में अब उसी तरह महिला-पुरूषों की नसबंदी की जा सकेगी जैसी की सरकारी अस्पतालों में वर्षों पहले से होती चली आ रही है। या यूं कहें कि इन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में नसबंदी कराने वाले महिला-पुरूषों को जहां अपनी जेब से फूटी कौड़ी नहीं खर्च करनी पड़ेगी वहीं इसके लिए उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि भी मिलेगी। इतना ही नहीं नसबंदी कराने के बाद महिला -पुरूषों को प्रमाण पत्र भी यहीं से मिल जाएगा। हासिल जानकारी के मुताबिक नाहर नर्सिंग होम, शारदा नर्सिंग होम, आरके मेडिकल सेन्टर, आयुष्मान हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, आयुष्मान हास्पिटल एण्ड रिसर्च

कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.एल.मिश्रा व उनके मातहत अमले ने भी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को पूरा सहयोग प्रदान किया। शहर के निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम को शीघ्रतिशीघ्र महिला-पुरूष नसबंदी हेतु सरकारी मान्यता की प्रक्रिया को पूरी कराने में कलेक्टर मनीष रस्तोगी ने भी विशेष सक्रियता दिखाई। उन्होंने एन.एच.आर.एम के नोडल अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव को प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने का दायित्व अलग से सौंपा।

आज रात्रि होटल यू.एस.ए में एमओयू साइन

दिल्ली से सतना आने वाले जनसंख्या कोष के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. प्रमोद सामात्रे की मौजूदगी में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सीएमओ एच.एल.मिश्रा और आठ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के बीच एमओयू साइन 16 फरवरी की रात्रि आठ बजे से आयोजित होने वाले समारोह के दौरान होंगे। इस तरह दोनों पक्षों के एक निश्चित अनुबंध में दस्तखत हो जाने के बाद निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी जिले के महिला-पुरूषों को सरकारी अस्पतालों की तरह ही मुफ्त में नसबंदी कराने की सुविधा मिल जाएगी।

प्रति केस मिलेंगे 1500 रूपए

आईएमओ साइन होने के बाद निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को शासन द्वारा प्रति महिला